

संपादकीय

जनसंख्या का गणित

देश में विभिन्न दलों के राजनेता और धार्मिक नेता अपने तात्कालिक हितों की पूर्ति हेतु अपने लक्षित समूहों की आबादी बढ़ाने की जरूरत बताते रहे हैं। आबादी के बोझ से चरमराती नागरिक सेवाओं और सीमित संसाधनों के बीच आबादी बढ़ाने का आवृत्तान करना तार्किक दृष्टि से गले नहीं उतरता। लेकिन इसके बावजूद धार्मिक व सांप्रदायिक समूह के अगुआ आबादी बढ़ाने का आवृत्तान करते नजर आते हैं। इस विवादास्पद मुद्दे की हालिया चर्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी के कारण फिर सुर्खियों में है। उनका कहना है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। उन्होंने एक तस्वीर उकेरते हुए कहा है कि जिस समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाएगी, कालांतर उस समाज को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उनकी दलील है कि बहुसंख्यक समाज को हम दो, हमारे तीन के समाधान पर अमल करना चाहिए। यानी प्रत्येक जोड़े को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में प्रदानमंत्री ने एक समुदाय विशेष को इंगित करते हुए चिंता जतायी थी कि अधिक आबादी वाला समुदाय जनसंख्या संतुलन के लिये चुनौती पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस विवादास्पद भाषण के कुछ सप्ताह के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के निष्कर्ष में इस बात को लेकर चिंता जतायी गई थी कि 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक समाज की आबादी में 7.82 फीसदी की कमी आई है। वहीं देश के मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में 43 फीसदी की वृद्धि हुई है। दरअसल, इन्हीं आंकड़ों के जरिये भविष्य में बहुसंख्यक समाज के समक्ष उत्पन्न होने वाली

डॉ. रमेश ठाकुर

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेर्इमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़िने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रुक गए। दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात

दिल्ली—एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया। दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया पलाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय

एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि हैं उनके पास। किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें जमीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ावा हुआ जमीन का शेष मुआवजा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंडियों

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?



पकड़ना हो? किसान भूमि अद्य ग्रहण का उचित मुआवजा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान वयों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रक्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, 'आग में धी डालने' का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकरण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल होना ही होगा



सबनानी ।

दी है। देश की अथव्यवस्था को यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को भी सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है। भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो उन में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों

में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के

आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। उक्तवर्णित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकड़े वर्ष 2021–22 तक के हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिती लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के कई नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए अपेक्स स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है ऐसा सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय रहा है। ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते आए हैं जिसके कारण इन बैंकों की विकास यात्रा अनुकरणीय रही है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूँजी बाजार से पूँजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने

घरेलू राजनीति और कृषकनीति में टकराव



और पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करती थी। 1971 में आजादी के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने पहली सरकार बनाई। इसके नेता गुलाम आजम की नागरिकता रद्द कर दी गई और वे विदेश भाग गए। 1975 में मुजीब की हत्या के बाद, जमात ने फिर से अपनी गतिविधि यां शुरू कर दीं। बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जो एक पूर्व सेना प्रमुख और राष्ट्रपति की हत्या की विधवा थीं, ने जमात के साथ गठबंधन कर लिया। यह गठबंधन अब फिर से चर्चा में है, क्योंकि मुहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने बीएनपी और जमात नेताओं को बंधनमुक्त कर दिया है। शेख हसीना के भारत में आत्म-निर्वासन के तुरंत बाद, उनकी पार्टी अवामी लीग के वरिष्ठ सदस्यों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया

गया और उन्हें गिरफतार किया गया, जिसमें लगभग 1,000 लोग मारे गए। तीन सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अब प्रदर्शनकारियों, खासकर छात्रों की हत्या में कथित रूप से शामिल लोगों पर मुकदमा चला रहा है। गिरफतार किए गए लोगों में 11 मंत्री, एक जज और एक वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हैं। न्यायादिकरण के फैसले की नई समयसीमा 17 दिसंबर है, जिसने शेष हसीना और 45 अन्य के खिलाफ 17 अक्टूबर को बारंट जारी किए थे। दरअसल, न्यायाधिकरण ने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप फैसले को बनाने के कारण देरी की व्याख्या की। प्रत्यर्पण अनुरोध एक नया द्विपक्षीय विवाद बन सकता है। इसलिए, इस्कॉन से जुड़े पूर्व चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की राजद्रोह के आरोप में गिरफतारी लोकप्रिय भारत विरोधी भावना को दर्शाती है, जो अब मुसलमानों ने पाकिस्तान पर हावी होने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति को त्याग दिया, बंगाली मुसलमान अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहे। अवामी लीग को इस विशाल बहुमत का समर्थन प्राप्त था। लेकिन हाल के वर्षों में, जैसे-जैसे बांग्लादेश का आर्थिक चमत्कार लड़खड़ाता गया और शेष हसीना का अधिनायकवाद बिगड़ता गया, लोकप्रिय भावना उनके धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के खिलाफ हो गई। पाकिस्तान के अधिक सक्रिय होने की खबरें हैं, लेकिन भारत के अनुकूल शेष हसीना के बाहर निकलने के बाद चीन सबसे अच्छी रिस्थिति में है। जबकि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दक्षिण एशिया में भारत इसका श्रेय लेता है। पिछले आठ वर्षों में, भारत ने चार ऋण लाइनें बढ़ाई हैं, जिनकी कुल राशि +8 बिलियन है। 18 मार्च, 2023 को, दोनों देशों के

प्रधानमंत्रिया न हाई-स्पोड डाइल ले जाने वाली भारत—बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का दूरस्थ रूप से उदघाटन किया। 1 नवंबर, 2023 को, दो रेल संपर्क परियोजनाओं और मैत्री सुपर थर्मल प्लाट का भी उदघाटन किया गया। 1965 से पहले के पांच रेल संपर्कों का पुनर्वास किया गया। बांग्लादेश भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात कर रहा है। सितंबर 2023 में भारत द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित शेख हसीना ने कृषि अनुसंधान, डिजिटल भुगतान और सांस्कृतिक आदान—प्रदान पर तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार, शेख हसीना के शासन में मदर करने की भारतीय रणनीति कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना था। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कनेक्टिविटी, बिजली और सैन्य संपर्क बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश यह तर्क दे रहा है। कि उसकी सरकार हिंदुओं की रक्षा करती है। जिनेवा में उनके स्थायी प्रतिनिधि ने अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 17वें सत्र में बोलते हुए कहाँ बांग्लादेश का पूरा समाज सांप्रदायिक सद्भाव की हमारी लंबी परंपरा का पालन करते हुए अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आगे आया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आधारशिलाघ है।

